न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 04 / 2017

क्र. सं.	अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1.	नेमाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति घांची निवासी आदेश्वर मन्दिर के पास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।	1.	कानाराम पुत्र भोलाराम जाति घांची निवासी आदेश्वर मन्दिर के पास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।
		2.	सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।

राजस्व म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बखिलाफ नामान्तरकरणकरण संख्या 108 स्वीकृत दिनांक 25.05.1983 ग्रम पंचायत रेन्दड़ी

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी व सम्पतराज देवड़ा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री देवेन्द्र व्यास व कैलास दवे अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान उपस्थित।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

–: निर्णय :– दिनांक–27.06.2018

अधिवक्ता मय अपीलान्ट ने यह राजस्व अपील दिनॉक 20.07.2017 को न्यायालय हाजा में विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि मौजा रेन्दड़ी पटवार हल्का आलावास में खसरा नंबर 21 रकबा 7.0300 हैक्टर अपीलान्ट एवं अन्य सह खातेदारान की स्थित है। वर्तमान खसरा नंबर 21गत खसरा नंबर 4 से बना है, जो खसरा मिलान सम्वत् 2028–2029 से बखुबी साबित है। गत खसरा नंबर 4 के खातेदार मेगदान वल्द भूरदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत से दिनांक 12.07.1968 को 7 बीघा कृषि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के सोनाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार ने खरीद की तथा सोनाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार से अपीलान्ट के भाई भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल ने दिनांक 12.11.1976 को जरिये बेचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। अपीलान्ट के भाई भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल ने गत खसरा नंबर 4 रकबा 135 बीघा में से 5 बीघा कृषि भूमि खातेदार मेगदान पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत वालों से जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.04.1976 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार कुल 12 बीघा जमीन भंवरलाल ने खरीद की। तब से अपीलान्ट के भाई भॅवरलाल बतौर खातेदार काबिज हुआ। अपीलाण्ट के भाई भवंरलाल पुत्र मिश्रीलाल लाऔदाद फौत हो चुका है। अपीलान्ट के भाई भंवरलाल फौत होने से एवं उनके प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान नही होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत निकट वारिस अपीलान्ट

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

ही है। इसलिए भंवरलाल की मृत्यु के बाद उनके निकट के विधिक वारिस अपीलान्ट ही हुआ तथा भंवरलाल के सम्पूर्ण हक व अधिकार अपीलान्ट में ही निहित हुए, जिससे उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी रहा। भंवरलाल द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीद करने के बाद नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाया था। गत खसरा नंबर 4 से बने नये खसरा नंबर 21 का नामान्तरकरण भंवरलाल के नाम 12 बीघा का दर्ज किया गया, जिससे मेगदान पुत्र भूरदान हिस्सा 341/703, भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल का हिस्सा 192/703 एवं दमा वल्द देवा का हिस्सा 80/703 अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के भाई भंवरलाल का उक्त आराजी में 192/703 हिस्सा खातेदारी हक हकुक का रहा तथा उसी हिस्सा अनुसार अपीलान्ट का भाई बतौर खातेदार काबिज हुआ। अपीलान्ट के भाई भंवरलाल के कोई वारिसान नही होने से भंवरलाल अपीलान्ट के साथ ही निवास करता था, जिससे उक्त कृषि भूमि 12 बीघा पर अपीलान्ट ही काश्त करता तथा वर्तमान में भी अपीलान्ट खसरा नंबर 21 में 12 बीघा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट के भाई भंवरलाल लाऔलाद फौत हो जाने एवं भंवरलाल क विधिक निकट के वारिसान अपीलान्ट ही होने से हिन्दू उतराधिकर अधिनियम के तहत उक्त कृषि भूमि में भंवरलाल के स्थान पर अपीलान्ट को ही हक एवं अधिकार प्राप्त हुए। जिससे भंवरलाल की खातेदारी दर्ज सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 7.03 हैक्टर में से 192/703 हिससे की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 25.05.1983 में दर्ज करना चाहिए था, जो उक्त हिस्सा अनुसार दर्ज नही कर उक्त म्यूटेशन में विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम 0.5600 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कर दी तथा उसका नेमाराम अपीलान्ट द्वारा बेचान करना बता दिया, जबकि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कानाराम को न तो खसरा नंबर 21 में रकबा 0.5600 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान किया, न ही किसी प्रकार का बेचान दसतावेज के एवं विधि विरूद्व तरीके से अपीलान्ट की 56 एयर जमीन कम करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 15.04.1983 को भर कर सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी से दिनांक 25.05.1983 को विधि विरूद्व तरीके से अपीलान्ट को बिना बताये दर्ज कर दिया जो नामान्तरकरण संख्या 108 में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज की गई, 0.5600 हैक्टर कृषि भूमि की हद तक अपीलान्ट के हक एवं अधिकारो के विरूद्ध बेअसर शुन्य एवं अप्रभावी है, में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नही होते है। खसरा नंबर 21 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मात्र 0.8000 हैक्टर कृषि भूमि ही है, 0.5600 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मे अलग से दर्ज की गई हैा, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त एवं हक अधिकार नही है न ही कभी कब्जा रहा है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को कभी भी 0.5600 हैक्टर कृषि भूमि खसरा नंबर 21 में से बेचान नही की है, न ही 0.5600 हैक्टर का कब्जा सुपुर्द किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 108 में 0.5600 हैक्टर भूमि के रेस्पोउेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने की हद तक अपीलान्ट के हक एवं अधिकारो के विरूद्ध बेअसर, शुन्य व अप्रभावी है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी भी 0.5600 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान नही किया है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जरिये नामान्तरकरण से 108 के

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

0.5600 हैक्टर भूमि दर्ज की गई, जिसकी हद तक नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक व अधिकारो के विरूद्व बेअसर, शुन्य एवं अप्रभावी होने से नामान्तरकरण संख्या 108 स्वीकृत दिनांक 25.05.1983 निरस्त करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह अपील पेश की है। दिनांक 27.06.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 21 में 8.5 बीघा पर हक जताने लगा तथा अपीलान्ट को कहा कि 'मेरे खेत में 8.5 बीघा जमीन है'। तब अपीलान्ट ने कहा कि 'आपकी तो 5 बीघा ही खरीद की हुई है तथा कब्जा 5 बीघा पर ही है'। तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को कहा कि ' मैने आपसे 56 एयर जमीन खरीद की है, जिसका नामान्तरकरण मेरे नाम से हो चुका है'। अपीलान्ट ने कहा कि 'मैने जमीन आपको बेचान कभी की ही नही तो 56 एयर जमीन आपके नाम हो कैसे गई। तब अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि से राजस्व रेकर्ड की नकले रेकर्ड शाखा पाली से दिनांक 30.06.2017 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई कि, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तत्कालीन पटवारी हल्का रेन्दड़ी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगती कर विधि विरूद्व तरीके से बाले बाले अपीलान्ट को अन्धेरे में रखते हुए 0.5600 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोउेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया जो अपीलान्ट के हक एवं अधिकारो के विरूद्व बेअसर, शुन्य एवं अप्रभावी हैं अपीलान्ट खसरा नंबर 21 में रकवा 0.5600 हैक्टर पुनः अपने नाम दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड में 192/703 हिससा पुनः दर्ज करवाने का अधिकारी है। अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने, अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 108 स्वीकृत दिनांक 25.05.1983 मौजा रेन्दड़ी का खारिज किये जाने तथा अपीलान्ट के नाम 0.5600 हैक्टेयर भूमि का पुनः नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्थान पर पुनः अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने तथा अपीलाण्ट का खसरा नंबर 21 में 192/703 हिस्सा पुनः दर्ज किये जाने हेतु ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को जरिये सम्मनस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बावजूद तामिल/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 13.09.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम अपीलान्ट /प्रार्थी की ओर से पेश किया कि अपीलान्ट/ प्रार्थी ने उपरोक्त अनवान प्रकरण की अपील रेस्पोडेन्ट /अप्रार्थी के विरूद्व पेश की है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भमि बेचान नही करने के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 108 में 56 एयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई। दिनांक 27.06.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 21 मे 8.5 बीघा पर हक जताने लगा तथा अपीलान्ट को कहा कि मेरे खेत में 8.5 बीघा जमीन है। तब अपीलान्ट ने कहा कि आपकी तो 5 बीघा ही खरीद की हुई है तथा कब्जा 5 बीघा पर ही है। तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को कहा कि मैरे आपसे 56 एयर जमीन खरीद की है, जिसका नामान्तरकरण मेरे नाम से हो चुका है। अपीलान्ट ने कहा कि मैने जमीन आपको बेचान की ही नही तो 56 एयर जमीन आपके नाम हो कैसे गयी, तब अपीलान्ट ने उक्त कृषि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

भूमि से राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित रेकर्ड शाखा पाली से दिनांक 30.06.2017 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई की, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तत्कालीन पटवारी हल्का रेन्दड़ी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगती कर विधि विरूद्व तरीके से बाले बाले अपीलान्ट को अन्धेरे में रखते हुए 0.5600 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया जो अपीलान्ट के हक एवं अधिकारों के विरूद्व वेअसर, शुन्य एवं अप्रभावी है। उक्त म्यूटेशन में 56 एयर जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने के संबंध में अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट को जानकारी होने हुए ही राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर अपील पेश की है। अपीलाधीन म्यूटेशन दिनांक 25.05.1983 से लेकर राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 30.06.2017 को प्राप्त करने एवं अपील पेश करने तक लगे समय को कण्डोन किया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है तथा अपील अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, यदि अपील अन्दर म्याद शुमार नही की जाती है तो अपीलान्ट अपने आयज हक अधिकारो से महरूम हो जायेगा, जिससे अपीलान्ट को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रा0प्रत्र मय शपथ–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र धारा 5 को स्वीकार किये जाने तथा अपील पेश करने मे लगे समय को कण्डोन किये जाने एवं अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान्ट संख्या 1 ने राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प रेन्दड़ी में दिनांक 26.06.2018 को म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 108 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी दिनांक 25.05.1983 जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कानाराम की ओर से जवाब पेश किया कि अपीलाण्ट ने बिल्कुल ही गलत, झूठे, बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर उक्त नामान्तरकरण अपील रेस्पोडेण्ट के विरूद्व प्रस्तुत की है कि आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 25.05.1983 को ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा तस्दीकसुदा है। जिस पर ग्राम पंचायत रेन्दड़ी के सरंचच के स्वीकृत करने के हस्ताक्षर सुदा है। अपीलाण्ट ने उक्त अपील म्यूटेशन स्वीकृत होने के 35 वर्ष पश्चात अपील पेश की है, जो कतई चलने योग्य नही है। मात्र अपीलाण्ट की नियत बद होने से एवं वर्तमान में कृषि भूमियो की कीमत ज्यादा होने से रेस्पोडेण्ट को हैरान, परेशान करने की नियत से उक्त म्यूटेशन अपील पेश की है। अपीलाण्ट का लिखना गलत है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि बेचान नही करने के बावजूद भी उक्त नामान्तरकरण संख्या 108 में 56 भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज कर दी गई। बल्कि तथाकथित राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत सरंपच रेन्दडी द्वारा उक्त नामान्तरकरण बिल्कुल विधिक प्रकिया अपना कर कब्जे की जाचं कर उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम विधिवत स्वीकृत किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। अपीलाण्ट का यह लिखना कि दिनांक 27 जून 2017 को रेस्पोउेण्ट संख्या 1 वादस्थ भूमि खसरा संख्या 21 में 8.5 बीघा पर हक जताने लगा तथा अपीलाण्ट को कहा कि मेरे खेत में 8.5 बीघा जमीन है, तब अपीलाण्ट ने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

कहा कि ' आपके तो 5 बीघा ही खरीद की हुई तथा कब्जा 5 बीघा पर ही है तब रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा अपीलाण्ट को 56 एयर भूमि खरीद करने से नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट के नाम हो चुका है तथा अपीलाण्ट ने कहा कि ' मैने जमीन कभी आपको बेचान ही नही की तो 56 एयर भूमि आपके नाम कैसे हो गई है। उक्त तमाम तथ्य अपीलाण्ट ने मनगढत एवं झूठे वर्णित किये है, बल्कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का नाम म्यूटेशन स्वीकृत होने से राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार के सम्वत 2042 से इन्द्राज चला आ रहा है, जिसकी अपीलाण्ट को पूर्व से जानकारी है तथा अपीलाण्ट द्वारा उक्त कृषि भूमि से सम्बद्ध राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि रेकर्ड शाखा पाली से दिनांक 30.06.2017 को प्राप्त करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज नामान्तरकरण की जानकारी हुई, लिखना गलत है। बल्कि अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज नामान्तरकरण की शुरू से जानकारी है। क्योकि अपीलाण्ट स्वयं के द्वारा अपने अपील के अभिवचनो में उक्त भूमि का सहखातेदार बताया जा रहा है तो उक्त तथ्य मानने योग्य नही है कि अपीलान्ट को रेस्पो0 के नाम म्यूटेशन की जानकारी नही हो। वक्त ना0सं0 108 दिनांक 25.05.1983 को स्वयं अपीलान्ट का 136/703 हिस्सा दर्ज किया है कि व्यक्तिगत जानकारी है। राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां लेने से अपील का कारण पैदा नही होता है। कानूनन किसी भी म्यूटेशन को 30 दिन की अवधि मे चैलेंज किया जा सकता है, जबकि 35 वर्षो पश्चात उक्त म्यूटेशन को चैलेंज नही किया जा सकता है। न्यायालय हाजा में रा0वा0 सं0 1926/15 नेमाराम बनाम मिश्रीदेवी अन्तर्गत 188 राज0का0 अधि0 के तहत दिनांक 01.12.2015 को प्रस्तुत हुआ, में ख0नं0 21 की भूमि को रेस्पो0 सं0 1 व स्वयं अपीलाण्ट की भूमि होना बताया है। इस प्रकार जवाब प्रा0प्रत्र पेश कर चूँकि अपीलाण्ट ने मात्र रेस्पो0 को हैरान, परेशान करने की नियत से उक्त नामा0 अपील पेश की गई, जो प्रथम दृष्टया म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है। जिससे अपील खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम एवं बहस अपील सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने व्यक्त किया कि धारा 5 म्याद अधिनियम मे वर्णित अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान नही करने पर भी नामान्तरकरण संख्या 108 के जरिये 0.5600 है0 भूमि रे0सं0 1 के नाम कर दी। जिसकी प्रा0पत्र मे वर्णित तथ्यो के परिपेक्ष्य में प्रमाणित प्रतियां रेकर्ड शाखा पाली से दिनांक 30.06.2017 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई। फलस्वरूप अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक 25.05.1983 से 30.06.2017 तक की अवधि को कण्डोन किये जाने एवं अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने की ईश्तदुआ की है। फलतः अन्दर म्याद अपील पेश किये जाने से गलत व अवैधानिक रूप से अर्थात अन्य व्यक्ति भंवरलाल व नारायणलाल के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण के साथ-साथ नेमाराम द्वारा ख0नं0 21 में से 0.5600 है0 भूमि के बेचान किये जाने का मात्र अंकण कर रेस्पो0 सं0 1 कानाराम के नाम 56/703 हिस्सा की भूमि दर्ज की है। जो भिन्न-भिन्न स्थितियो/परिस्थितियो का उल्लेख है, फलस्वरूप गलत व अवैधानिक है। लिहाजा उक्त अवधि म्याद का कण्डोन किये जाने तथा नामान्तरकरण संख्या 108 स्वीकृति दिनांक 25.05.1983 को बिना सुने तथा ठोस

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत के अभाव मे भरा गया है। फलस्वरूप उक्त नामा0 खारिज किये जाने तथा पुनः वास्तविक तथ्यो एवं दस्तावेजात आदि की जांच करके विधि सम्वत् निस्तारण/नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किये जाने की ईश्तदुआ की है। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्ट आर0आ0 टी0 2018(1) पेज 186 की नजीर पेश की है। धारा 5 म्याद अधि0 तथा बहस अपील के जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 ने व्यक्त किया कि तत् समय अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि का बेचान किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है जिसकी जवाब प्रा0 में वर्णित समस्त तथ्यो के अनुसार पूर्व से ही अपीलाण्ट को समस्त जानकारी होते हुये भी अपील नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक 25.05.1983 से लगभग 35 वर्षो की लम्बी अवधि के पश्चात पेश की है। जिससे म्याद बाहर अपील पेश करने से चॅकि इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन नही किया जा सकता है फलतः धारा 5 म्याद अधि0 प्रा0पत्र म्याद बाहर होने से अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अपने कथनो के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ने क्रमशः आर0आर0टी0 2007(2) एस0सी0 पेज 939 तथा आर0आर0डी0 2008 पेज 723, आर0आर0टी0 2009(1) पेज 440 एवं आर0आर0टी0 2009(1) पेज 488 के न्यायिक दृष्टान्ट/नजीरे पेश की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रा0पत्र मय शपथ–पत्र जवाब प्रा0पत्र अधिवक्ता रेस्पो0सं0 01 तथा दस्तावेजात समस्त का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय प्रा0पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम तथा बहस अपील वकुलाय उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। उभयपक्ष क्षरा प्रस्तुत नजीरो/न्यायिक दृष्टान्तो का भी अध्ययन कर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः नामान्तरकरण संख्या 108 स्वीकृत दिनांक 25.05.1983 को स्वीकृत करते समय अन्य के विरासत का नामान्तरकरण भरते समय भिन्न तथ्यो का उल्लेखित करके कि "नेमाराम ने अपना हिस्सा ख0नं0 21 में से 0.5600 हैक्टर बेचान किया", नामान्तरकरण रेस्पो0सं0 1 कानाराम के नाम 56/703 हिस्सा दर्ज कर दिया। किन्तु ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उक्त नामान्तरकरण के साथ संलग्न/पेश होना परिलक्षित नही हुआ तथा ठोस दस्तावेजी सबूत (बेचाननामा/अन्य कोई दस्तावेज) अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 द्वारा भी आज तक पेश नही किया गया है। मात्र जवाब पत्र में धारा 5 म्याद अधिनियम में पूर्व से अपीलाण्ट को जानकारी होना उल्लेखित करने मात्र को पर्याप्त व दस्तावेजी साक्ष्य सबूत आदि के अभाव में धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रा0पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अधि0रेस्पो0सं0 1 द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम से सम्बद्ध प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उचित चस्पा होते है। लिहाजा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र मय दर्शित/अंकित युक्तियुक्त कारणो से परिपूर्ण होने से स्वीकारयोग्य है, लिहाजा स्वीकार किया जाता है तथा नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक 25.05.1983 से 30.06.2017 तक की अवधि को कण्डोन किया जाता है। बहस वकुलाय राजस्व अपील पर भी गौर कर मनन किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

वस्तुतः तत्समय नामान्तरकरण संख्या 108 स्वीकृति दिनांक 25.05.1983 के कॉलम में मंवरलाल, नारायणलाल फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ही भिन्न तथ्यों का उल्लेख करते हुये कि नेमाराम ने अपना हिस्सा ख0नं0 21 में से 0.5600है0 बेचान किया, कोई ठोस साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात रेकर्ड में नही लिये ही स्वीकृत किया है तथा आज भी अधि0 मय रेस्पो0सं0 01 ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किया है। फलस्वरूप अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 25.05.1983 का बिना किसी आधार के दर्ज होने से खारिज योग्य है लिहाजा खारिज किया जाना तथा तहसीलदार सोजत को नये सिरे से वास्तविक एवं सही तथ्यो के दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो की जांच करके विधिसम्मत् निर्णय/नामान्तरकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील उपरोक्त विवेचनानुसार अन्दर म्याद पाये जाने से एवं अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। सरहद मौजा रेन्दड़ी तहसील सोजत का नामान्तरकरण सं0 108 दिनांक 25.05.1983 बिना किसी आधार के दर्ज होने से खारिज योग्य है लिहाजा खारिज किया जाता है। तहसीलदार सोजत को इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि नये सिरे से वास्तविक एवं सही तथ्यो के दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो की जांच करके विधिसम्मत् निर्णय/नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति के साथ तहरीर भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.
जिला पाली(राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.
जिला पाली(राज.)

Scanned by CamScanner